न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0:— 450/2025

1. कालूराम पुत्र बृजलाल } जाति बावरी निवासीयान सूरेवाला तहसील टिब्बी
2. रामी देवी पत्नी बृजलाल } जिला हनुमानगढ़।

वादीगण

बनाम्

1. बृजलाल पुत्र माडूराम जाति बावरी निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. सन्तोष रानी पुत्री बृजलाल पत्नी शैलेन्द्र जाति बावरी निवासी कनवानी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955 धारा 88,53

उपस्थिति :—श्री रतनलाल शर्मा अधिवक्ता वादी
श्री महावीर वर्मा अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक 11/11/25

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी सं0 1 व प्रतिवादीया सं0 2 के पिता, प्रतिवादी सं0 1, बृजलाल के नाम से चकनं0 12 सीडीआर के खाता सं0 130 / 126 में कुल 1.189 है० नहरी आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है । वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज प्रतिवादी सं0 1 के नाम की आराजी जो कि वादी सं0 1 के दादा से प्रतिवादी सं० 1 को प्राप्त हुई है जिसमें वादी सं० 1 व प्रतिवादीया सं0 2 का जन्म से हक व हिस्सा बनता है। वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य आपस में घरू बटवारा हो गया है व बंटवारा में प्रतिवादीया संव 2 ने अपने हक व हिस्सा की आराजी का मौखिक रूप से हक त्याग वादीगण सं0 1 व 2 के पक्ष में बहिब कर दिया तथा प्रतिवादी सं0 1 द्वारा वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज चकनं0 12 सीडीआर के खाता सं0 130 / 126 में कुल 1.180 है० नहरी आराजी बटवारों में वादीगण सं0 1 व 2 को बहि०ब० दी थी जिस पर वादीगण सं० 1 व 2 बहिब) काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है व अपनी आराजी की रकम राज जमा करवाते चले आ रहे है। वाद पत्र की दफा 2 में दर्ज प्रतिवादी सं० 1 के नाम की आराजी पर वादीगण बहिब अपनी आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है व अपनी आराजी की रकम राज जमा करवाते चले आ रहे है लेकिन वाद पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में ब०हि०ब० अंकन नहीं होने से तथा खाता हाजा में प्रतिवादी सं0 1 का नाम दर्ज रहने से वादीगण के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है व वादीगण अपनी आराजी पर बैंक से ऋण लेने, पानी की बारी अपने नाम करवाने तथा अन्य वितीय संस्थाओं से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रहते है। इसलिए वादीगण घोषणा इस आशय की प्राप्त करने के अधिकारी है कि प्रतिवादीसं० 1 बृजलाल के नाम से दर्ज चकनं0 12 सीडीआर के खाता सं0 130/126 में कुल 1.189 है० नहरी के वादीगण ब०हि०ब० के खातेदार काश्तकार है व इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन करवाकर चकनं0 12 सीडीआर के खाता सं0 130/126 में से प्रतिवादीस 01 बृजलाल का नाम कलमजन करवाने के अधिकारी व दावेदार है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा निवेदन किया कि वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज प्रतिवादी सं0 1 के नाम की आराजी वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में बहि०ब० अंकन करवा देवे व खाता हाजा मे से

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादीसं० 1 अपना नाम कलमजन करवा लेवे तो प्रतिवादीगण पहले तो टाल मटोल करते रहे व आज से तीन रोज पूर्व ग्राम सूरेवाला में कतई इन्कार हो गये । बस यही बिनाय दावा है । वादीगण का वाद पूर्ण कोर्टफीस पर तहरीर है जो अन्दर मियाद तथा काबिल समायत अदालत हाजा के है। लिहाजा वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे:--

क. कि घोषित किया जावे कि प्रतिवादीसं० 1 बृजलाल के नाम से दर्ज चकनं0 12 सीडीआर के खाता सं0 130/126 में कुल 1.189 है0 नहरी के वादीगण ब०हि०ब० के खातेदार काश्तकार है व इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन कर चकनं0 12 सीडीआर के खाता सं0 130/126 में से प्रतिवादीस 0 1 बृजलाल का नाम कलमजन किया जावे।

वाद पत्र पे । होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया प्रतिवादीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता वाद पत्र की सभी मद संख्याओं को स्वीकार करते हुए सहमति का जवाबदावा पेश किया कि वाद पत्र की दफा 1 पते से सम्बन्धित है जो सही होने से स्वीकार है। वाद पत्र की दफा 2 में प्रतिवादी सं० 1, बृजलाल के नाम से चकनं0 12 सीडीआर के खाता सं0 130/ 126 में कुल 1.189 है0 नहरी आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड होना स्वीकार है। वाद पत्र की दफा 3 मे दर्ज वंशावली सही होने से स्वीकार है। वाद पत्र की दफा 4 में दर्ज तथ्य स्वीकार है । वाद पत्र की दफा 2 में दर्ज प्रतिवादी सं० 1 के नाम की आराजी जो कि विरास्तन की सम्पति है । वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी का वादीगण व हम प्रतिवादीगण के मध्य आपस में घरू बटवारां हो गया है व बटवारां में मुझ प्रतिवादीया सं0 2 ने अपने हक व हिस्सा की आराजी का मौखिक रूप से हक त्याग वादीगण सं० 1 व 2 के पक्ष में ब०हि०ब० कर दिया तथा मुझ प्रतिवादी सं० 1 द्वारा वाद पत्र की दफा 2 में दर्ज चकनं0 12 सीडीआर के खाता सं0 130/126 में कुल 1.189 है० नहरी आराजी बटवारां में वादीगण सं0 1 व 2 को ववहि०व० दी थी जिस पर वादीगण सं० 1 व 2 ब0हि0ब0 काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है व अपनी आराजी की रकम राज जमा करवाते चले आ रहे है। वाद पत्र की दफा 5 में दर्ज तथ्य स्वीकार है । वाद पत्र की दफा 2 में दर्ज मुझ प्रतिवादी सं0 1 के नाम की आराजी पर वादीगण बहि०ब० अपनी आराजी पर काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे है व अपनी आराजी की रकम राज जमा करवाते चले आ रहे है इसलिए प्रतिवादीसं० 1 बृजलाल के नाम से दर्ज चकनं0 12 सीडीआर के खाता सं0 130/126 में कुल 1.189 है0 नहरी के वादीगण को ब0हि0ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर रिकार्ड में अंकन कर चकनं0 12 सीडीआर के खाता सं0 130/126 में से प्रतिवादी सं० 1 बृजलाल का नाम कलमजन किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई उज व एतराज नही है। इसी अनुसार हमारा आपस मे राजीनामा हो गया है। हम प्रतिवादीगण राजीनामा से पूर्णतया सहमत है। वाद पत्र की दफा 6 लाइल्मी दर्ज की गई है। वाद पत्र की दफा 7 कानूनी है लिहाजा जबाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई उज्र व एतराज नही है।

प्रस्तुत वाद में सहमति का जवाबदावा पेश होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही, वादी द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया, वाद के समर्थन में वादी द्वारा जमाबंदी चक 12 सीडीआर खाता स0 130/126 प्रदर्श 1, आधार कार्ड बृजलाल प्रदर्श 2, आधार कार्ड संतोष प्रदर्श 3, पैतृक साक्ष्य प्रदर्श 4, शपथ पत्र बाबत् वारिसान प्रदर्श 5 आदि दस्तावेज प्रदर्श करवाए।

Scanned with OKEN Scanner

बहस उभयपक्ष सुनी गयी, दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज प्रतिवादी सं0 1 के नाम की आराजी जो कि वादी सं0 1 के दादा से प्रतिवादी सं० 1 को प्राप्त हुई है जिसमे वादी सं० 1 व प्रतिवादीया सं0 2 का जन्म से हक व हिस्सा बनता है। वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य आपस में घरू बटवारा हो गया है व बटवारा में प्रतिवादीया सं० 2 ने अपने हक व हिस्सा की आराजी का मौखिक रूप से हक त्याग वादीगण सं0 1 व 2 के पक्ष में बहिब कर दिया तथा प्रतिवादी सं0 1 द्वारा वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज चकनं0 12 सीडीआर के खाता सं0 130/126 मे कुल 1.180 है० नहरी आराजी बटवारें में वादीगण सं0 1 व 2 को बहि०व० की थी जिस पर वादीगण सं० 1 व 2 ब0हि0व0) काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है इसी अनुसार वादीगण के हक व हिस्सो की घोषणा की जावे। वकील प्रतिवादी ने बहस का विरोध न करते हुए वाद मुताबिक अनुतोष स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया हस्तगत प्रकरण मे वादभूमि वादी स0 1 के पिता के नाम से दर्ज राजस्व रिकोर्ड है प्रस्तुत दस्तावेजो से उक्त वादभूमि वादी की पैतृक सम्पति है प्रतिवादी स0 2 ने अपने हक व हिस्सा का त्याग वादीगण के पक्ष मे कर अपना हिस्सा शून्य कर लिया है वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये सजरा खानदान के अलावा अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया, प्रस्तुत दस्तावेजो एंव प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है चकनं0 12 सीडीआर के खाता सं0 130/126 में कुल 1.189 है0 नहरी के वादीगण ब०हि०व० के खातेदार काश्तकार है व इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन कर चकनं0 12 सीडीआर के खाता सं0 130/126 में से प्रतिवादीस 0 1 बृजलाल का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एंव जमाबंदी में गै0मु0 रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11/11/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :—सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0:— 450/2025

1. कालूराम पुत्र बृजलाल
2. रामी देवी पत्नी बृजलाल

} जाति बावरी निवासीयान सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम्

1. बृजलाल पुत्र माडूराम जाति बावरी निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. सन्तोष रानी पुत्री बृजलाल पत्नी शैलेन्द्र जाति बावरी निवासी कनवानी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

दिनांक 11/11/25

डिक्री

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री रतनलाल शर्मा व प्रतिवादी वकील महावीर वर्मा अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:— चकनं0 12 सीडीआर के खाता सं0 130/126 में कुल 1.189 है0 नहरी के वादीगण ब०हि०ब० के खातेदार काश्तकार है व इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन कर चकनं0 12 सीडीआर के खाता सं0 130/126 में से प्रतिवादीस 0 1 बृजलाल का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एंव जमाबंदी में गै0मु0 रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 11/11/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।

Scanned with OKEN Scanner